



भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

दिल्ली मण्डल-III

1-6-69 के पूर्व जारी की गई पालिसियों पर प्रथम ऋण हेतु आवेदन पत्र

वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक,
भारतीय जीवन बीमा निगम,
शाखा कार्यालय सं०
नई दिल्ली/ दिल्ली

दिनांक

प्रिय महोदय,

विषय : पालिसी सं०

मुझे/हमको उपरोक्त पालिसी सं० के अन्तर्गत रु० या अधिकतम (जितना मिल सकता है) रूपया ऋण के रूप में प्रदान करने की कृपया करें। मैं/हम ऋण राशि पर 10.5 % प्रतिवर्ष छमाही की दर से चक्रवृद्धि व्याज देना स्वीकार करती हूँ/करते हैं।

मैं/हम पालिसी पर निम्नलिखित पृष्ठांकन किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करती हूँ/करता हूँ/करते हैं।

स्वीकृत ऋणराशि का भुगतान निगम द्वारा पालिसी की प्रतिभूति पर निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर किया जायेगा:

1. ऋण, उसका व्याज तथा तत्सम्बन्धी व्यय राशि की अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में पालिसी का पूर्ण अभ्यर्पण निगम, उसके उत्तराधिकारियों एवं अभ्यर्पियों पक्ष में कर दिया जायेगा और अदायगी उन्हीं के पास रहेगी।
2. ऋण की अदायगी संबंधित ऋण प्रदान करने की तिथि से 6 मास के अन्दर बिना छमाही व्याज के स्वीकार न की जायेगी।
3. ऋण/ऋणों पर व्याज निगम द्वारा प्रत्येक ऋण प्रदान करते समय निर्वाचित की गई छमाही चक्रवृद्धि व्याज की दर से निगम, उसके उत्तराधिकारियों एवं अभ्यर्पियों को अदा किया जायेगा। व्याज का प्रथम भुगतान ऋण प्रदान करने की तिथि के उपरान्त पड़ने वाली पालिसी की वर्गांठ की तिथि पर या अगली पालिसी वर्गांठ से 6 माह से पूर्व की तिथि पर, दोनों में जो भी पहले पड़े, किया जायेगा। उसके बाद हर छमाही व्याज अदा करना होगा।
4. मांग किए जाने पर, जिसके लिए तीन मास की पूर्व सूचना दी जाएगी, ऋण की राशि की व्याज सहित अदायगी करनी होगी।
5. किसी भी ऋण की अदायगी स्वीकार करने के लिए निगम उसके उत्तराधिकारी एवं अभ्यर्पी बाध्य नहीं होंगे जब तक की अदायगी सम्पूर्ण राशि की न हो।
6. मांग किए जाने पर ऋण/ऋणों की राशि अदा करने में असमर्थ होने पर अथवा पूर्वोक्त देय तिथियों के एक कलैण्डर मास के भीतर व्याज का भुगतान न किया जायेगा, उसके उत्तराधिकारियों एवं अभ्यर्पियों को यह अधिकार होगा कि बिना कोई सूचना दिए पालिसी को जब्त करे लें और पालिसी समर्पण मूल्य द्वारा राशि में से ऋण प्रदान करने के नियम एवं शर्तों के अनुसार व्याज सहित ऋण तथा तत्सम्बन्धी व्यय की राशि वसूल कर लें और यदि कोई राशि शेष बचे तो उसका भुगतान अधिकारी व्यक्ति को कर दें।
7. यदि पालिसी पूर्णावधि प्राप्त कर लेने या मृत्यु होने के कारण दावा बन जाये और उसका कोई अंश बकाया हो तो ऐसी दशा में बकाया ऋण राशि तथा उसके अन्तर्गत केवल शेष धन ही देय होगा।

आपके पक्ष में पूर्णरूपेण अभ्यर्पित पालिसी ऋण की पावती (रसीद) तथा अभ्यर्पण सम्बन्धी घोषणा नियमानुकूल पूरी करके साथ में भेजी जा रही है।

भवदीय

उपरोक्तानुसार

(1).....

(2).....

प्रपत्र सं० 520

ऋण के लिए प्रार्थना पत्र जहां पालिसी के ऊपर ऋण की शर्तों का पृष्ठांकन हुआ हो अथवा जहां पालिसी 1-6-69 को या उसके बाद जारी की गई हो।

1. नया ऋण जहां पहले कोई ऋण नहीं।
2. आगे का ऋण जहां पहला ऋण 6% व्याज पर चल रहा है।

अधिकार पत्र

यदि रसीद, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर की गई हो और यह अपेक्षा की जाये कि भुगतान हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी एक को अथवा उसके अतिरिक्त किसी अविक्त को कर दिया जाए तो निम्नलिखित अधिकार पत्र पूरा करना चाहिए।

मैं/हम एतद् द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकार प्रदान करता / करती हूँ / करते हैं कि उपरोक्त ऋण की धनराशि उपरोक्त ऋण की धनराशि में से रूपये श्री..... को भुगतान कर दिया जाये।

हस्ताक्षर

(यदि अधिकार पत्र पूर्ण करने वाला कोई हिन्दी न जानता हो तो निम्नलिखित घोषणा पत्र हिन्दी जानने वाले को पूरा करना चाहिए)
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि इस अधिकार पत्र का विवरण श्री

(1)..... को भली भांति समझा दिया है और वह / वे इस बात से सहमत है/है कि उपरोक्त धनराशि
(2)..... को भली भांति समझा दिया है और वह / वे इस बात से सहमत है/है कि उपरोक्त धनराशि
का भुगतान अधिकार-प्रदत्त व्यक्ति श्री

घोषणा पत्र (जब ऋण लेने वाला हिन्दी न जानता हो उस समय भरने के लिए)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने (1) श्री..... (2) श्री..... को उपरोक्त विवरण
उनके द्वारा समझी जाने वाली () भाषा में ठीक-ठीक समझा दिया है और मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उन्होंने उसे भली भांति समझा
लिया है।

घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर

यदि ऋण लेने वाला हिन्दी न जानता हो अथवा निरक्षर हो तो उपरोक्त प्रवत्र की पूर्ति किसी हिन्दी जानने वाले व्यक्ति से करानी चाहिए और हस्ताक्षर का हिन्दी रूपान्तर अवश्य का/के/है/हैं और यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि निशानी अंगूठा निशानी उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों
लिखा देना चाहिए। कदाचित एक या दोनों ऋण प्राप्तकर्ता निरक्षर हों तो घोषणाकर्ता को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि लगाया गया निशानी अंगूठा अपरोक्त वर्णित व्यक्तियों

यदि उपरोक्त अधिकार-पत्र भरने वाले एक या दो व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते हैं तो अधिकार-पत्र के नीचे लिखी घोषणा किसी हिन्दी जानने वाले व्यक्ति द्वारा भरी जानी और उसे हस्ताक्षरों का हिन्दी रूपान्तर अवश्य लिखना चाहिए। यदि एक अथवा दोनों हस्ताक्षर कर्ता निरक्षर हैं तो घोषणाकर्ता को यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि निशानी अंगूठा उसके सामने लगाए गए हैं।

यदि ऋण की राशि 500 रु० से अधिक है, तो घोषणाकर्ता निम्न में से कोई एक होना चाहिए : मजिस्ट्रेट, जरिट्स आफ पीस, खण्ड विकास अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, सरकार द्वारा संचालित किसी उच्च भाद्यपिक रकूल अथवा हाई स्कूल का प्रधानाचार्य अथवा प्रधान अध्यापक, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एजेन्ट, जीवन बीमा निगम का प्रथम श्रेणी का अधिकारी अथवा जीवन बीमा निगम का वह विकास अधिकारी जिसकी नौकरी कम से कम 5 वर्ष की हो और जो अधिकारी पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं को भली भांति सकता है। यदि ऋण की राशि पांच सौ रुपये अथवा उससे कम है तो घोषणाकर्ता तलाती, राजस्व अधिकारी, जिला परिषद का अधिक अथवा ग्राम पंचायत का प्रधान भी हो सकता है।

प्रपत्र सं० 5198

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता (पूरा नाम) बीमा पालिसी संख्या के अन्तर्गत बीमादार एतद्द्वारा
उपरोक्त बीमा पालिसी के अन्तर्गत प्राप्त अपने सारे अधिकार स्वामित्व तथा हित एवम् उसके द्वारा प्राप्त धन एवं लाभों को भारतीय जीवन बीमा निगम, उनके उत्तराधिकारियों एवं अभ्यर्पकों के पक्ष में उनसे प्राप्त मूल्य या बाद में प्राप्त होने वाले मूल्य हेतु पूर्ण रूपेण अभ्यर्पित एवं हस्तान्तरित करता हूँ।

स्थान..... दिनांक..... माह..... 20.....
साक्षी :
हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद.....
पता.....

वीमादार के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त समनदुंशन के समरूप विवरण समनदेशिप को मेरे हारा भाषा में समझा दिये गए हैं और उसके उपरोक्त विवरणों को भली भांति समझकर मेरी उपरिथिति में अपने हस्ताक्षर किए हैं/अंगूठा लगाया है।

राष्ट्रीय के हस्ताक्षर

पालिसी संख्या :

प्रीमियम चुकाने एवं निजी प्रयोजनों के लिए नियम की बहु प्रयोजन योजना के अधीन जारी की गई उपर्युक्त पालिसी के अन्तर्गत ऋण लेने के आवेदन पत्र के संदर्भ में, मैं एतदद्वारा सहमति देता हूँ कि पालिसी में निर्धारित अवधि के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में क्लेमेंट / क्लेमेंटों से व्याज सहित बकाया कर्ज प्रथमतः बीमा धम के 10% के एक मुश्त भुगतान में से या किस्तों में से अदा करने और यदि ये दोनों वापसी भुगतान को पूरा करने के लिए यथेष्ट न हो तो शेष रकम की बची हुई पालिसी रकम में से अर्थात् बीमाधन 90% में से जब वह देय हो अदा कर देने अथवा एक अवान्तर विकल्प के रूप में पालिसी के हित लाभों को इस हद तक जितनी कि कर्ज को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो कम कराने का विकल्प देकर निगम मेरी मृत्यु होने के तत्काल ही कर्ज और उस पर व्याज के वापसी भुगतान की मांग कर सकता है।

भवदीय

बीमेदार

शिक्षा बन्दोबस्ती पालिसी में भरने हेतु

प्रपत्र सं० 3518

पालिसी सं..... खजीवन

पालिसी की पूर्णविधि तिथि पर मेरे जीवित रहने की दशा में तथा उस समय पूरे बीमा धन के लिए रिस्त होने पर पालिसी धनराशि का भुगतान किस्तों में कुछ वर्षों में करने के विकल्प वाली उपर्युक्त पालिसी के अन्तर्गत..... रु. का कर्ज लेने के लिए अपने आवेदन पत्र के संदर्भ में मैं एतदद्वारा सहमति देता हूँ कि पालिसी का क्लेम पूर्णविधि पर होने की दशा में पालिसी धनराशि प्राप्त करने के अधिकार व्यक्ति की व्याज सहित बकाया कर्ज नकद वापिस कर देने या हित के लाभों को उस हद तक जहां तक की कर्ज को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो, कम कराने का विकल्प देकर निगम तत्काल ही कर्ज और उस पर व्याज के वापसी भुगतान की मांग कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि यदि घटाई हुई वृत्ति की देय किस्त 20 रु० से कम हो तो क्लेम की शेष रकम मुश्त देय हो जायेगी और आगे शर्त यह है कि पूर्वोक्त पालिसी के अन्तर्गत इस प्रकार से वापस भुगतान की जाने वाली कुल रकम 25 रु० से कम न हो।

भवदीय

बीमेदार

प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा योजना पालिसी के सम्बन्ध में

प्रपत्र सं० 3599

पालिसी सं.....

लाभ सहित प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा योजना के अन्तर्गत जारी की गई उपर्युक्त पालिसी पर ऋण लेने के लिए अपने दिनांक के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में मैं एतद द्वारा इस बात के लिए सहमत हूँ कि :

1. पालिसी प्रारम्भ होने की तिथि से..... तक मेरे जीवित रहने की दशा में तथा बर्धे तक मेरे जीवित रहने की दशा में निगम बीमा धन की उस समय देय किस्तों की पालिसी के अन्तर्गत बकाया ऋण की अदायगी की मद में जमा खर्च कर सकता है। वशर्ते ऐसे जमा खर्च द्वारा समर्त बकाया ऋण की अदायगी के बाद यदि पूर्वोक्त बीमा धन की कोई रकम शेष रह जाती है तो उसी शेष रकम मुझे देय होनी चाहिए।

भवदीय,

- निर्देश:**
1. अभ्यर्पण प्रपत्र को विभाजन रेखा से अलग करके पालिसी के पीछे रिक्त स्थान पर चिपका कर पूरा किया जाना चाहिए। इस स्थिति में कोई भी स्टैम्प शुल्क देय नहीं होगा। यदि अभ्यर्पण अलग कागज पर किया जाता है तो अभ्यर्पण का आलेख उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर (स्पैशल एडहैसिव या सामान्य) पर नकल कर देना चाहिए ऐसे अभ्यर्पण प्रलेख (दस्तावेज) भेजने के पहले अभ्यर्पक को आश्वस्त हो लेना चाहिए कि उस पर समुचित स्टैम्प शुल्क अदा कर दिया है।
 2. अभ्यर्पक को अभ्यर्पक हेतु अपने हस्ताक्षर, साक्षी की उपस्थिति में करना चाहिए। यदि अभ्यर्पक को हिन्दी का ज्ञान नहीं है या यदि वह निरक्षर है तो उसे अपने हस्ताक्षर/या अपना अंगूठा निशान हिन्दी जानने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में लगाने चाहिये। ऐसी परिस्थितियों में साक्षी को अभ्यर्पण आलेख के नीचे मुद्रित प्रमाण पत्र पर भी अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।
 3. यदि हस्ताक्षर या अन्य कोई आलेख हिन्दी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में किया गया है तो उसके नीचे उसका हिन्दी अनुवाद अवश्य होना चाहिए।

अभ्यर्पण